



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 383]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 21, 2013/फाल्गुन 2, 1934

No. 383]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 21, 2013/PHALGUNA 2, 1934

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2013

का.आ. 414(अ).—जबकि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (निर्वाचन) नियम, 1975 के नियम 23 के साथ पठित भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में, केरल यूनीवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, त्रिशूर-680 596 (केरल) की आयुर्वेद और सिद्ध चिकित्सा पद्धति के एक-एक सदस्य को क्रमशः आयुर्वेद और सिद्ध संकाय के सदस्यों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित किया गया है;

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार अब भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तारीख 21 अगस्त, 1971 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3259(अ) में निम्नांकित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की तालिका में, “धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन निर्वाचित” शीर्षक के अधीन, निम्नलिखित विश्वविद्यालय और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

सदस्य का विवरण	चिकित्सा पद्धति	संकाय में सदस्यता की वैध अवधि
(1)	(2)	(3)
1. डॉ. एस. विद्याधरण, चेयरमैन, पी.जी. बोर्ड ऑफ स्टडीज सर्जिकल आयुर्वेद, टी.सी. 25/1915, (भूतपूर्व प्राचार्य व निदेशक, एस.एन. आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज), तम्पानूर वेस्ट मेल्ट्राई-14, वसंतम, त्रिवेन्द्रम-695 001	आयुर्वेद	18 दिसम्बर, 2012 से पांच वर्ष की अवधि हेतु, अथवा जब तक उनका उत्तराधिकारी विधिवत निर्वाचित नहीं होता है, अथवा जब तक उनकी केरल यूनीवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, त्रिशूर-680596 (केरल) की आयुर्वेद संकाय की सदस्यता समाप्त नहीं हो जाती है।
2. डॉ. वी. जॉन जस्टस, चेयरमैन- बोर्ड ऑफ स्टडीज सिद्ध, प्रोफेसर, संतिगिरी सिद्ध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, संतिगिरी पी.ओ., तिरुवनंत- पुरम-695 589	सिद्ध	18 दिसम्बर, 2012 से पांच वर्ष की अवधि हेतु, अथवा जब तक उनका उत्तराधिकारी विधिवत निर्वाचित नहीं होता है, अथवा जब तक उनकी केरल यूनीवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, त्रिशूर-680596 (केरल) की सिद्ध संकाय की सदस्यता समाप्त नहीं हो जाती है।

[सं. ए. 11019/35/12-ईसी/सीसीआईएम विश्वविद्यालय निर्वाचन]

राज प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th February, 2013

S.O. 414(E).—Whereas in pursuance of clause (b) of sub-section (1) of Section 3 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) read with rule 23 of the Indian Medicine Central Council (Election) Rules, 1975, one member each from Ayurveda and Siddha Systems of Medicine of Kerala University of Health Sciences, Thrissur-680 596 (Kerala) has been elected from amongst themselves by the members of Ayurveda and Siddha faculty respectively;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the said Act, the Central Government makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Health and Family Welfare, number S.O. 3259(E), dated the 21st August, 1971, namely :—

In the said notification, under the heading “Elected under clause (b) of sub-section (1) of Section 3”, in the Table, against the following University and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely :—

Particulars of the member	System of Medicine	Valid term of Membership in the Faculty
(1)	(2)	(3)
1. Dr. S. Vidyadharan, Chairman P.G. Board of Studies Surgical Ayurveda, T.C. 25/1915, (Former Principal & Director S. N. Ayurveda Medical College), Thampanoor West Meltra E-14, Vasantham, Trivandurum-695 001	Ayurveda	With effect from the 18th day of December, 2012 for a period of five years, or until his successor has been duly elected, or till he ceases to be a member of the Faculty of Ayurveda of Kerala University of Health Sciences, Thrissur-680 596 (Kerala)
1. Dr. V. John Justus, Chairman, Board of Studies Siddha, Professor, Santhigiri, Siddha Medical College & Hospital, Santhigiri, P. O. Thiruvanantha- puram-695 589	Siddha	With effect from the 18th day of December, 2012 for a period of five years, or until his successor has been duly elected, or till he ceases to be a member of the Faculty of Siddha of Kerala University of Health Sciences, Thrissur-680 596 (Kerala)

[No. A.11019/35/12-EC/CCIM University Election]

RAJ PRATAP SINGH, Jt. Secy.